RCMS क्रमांक
00078

ग्राम पीलवा चौकी

ग्राम पंचायत चक किलोली

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मलारना डूंगर (स.मा.)

प्र.सं.	तारीख	किस्म	तारीख फैसला	तादाद वर्क
24	1-12-16	प्रा० पत्र धारा (212) R.T.A	21-12-17	

नफीस बनाम साकिर वगै.

कलमबन्द

निम्न तारीख पेशी

19-12-16 23/8/17 27/12 7/9 17/1/17 12/9 18-1-17 15/9 8/2 6/10 20/2 20/10 22/3 14/11 30/3 15-11-17 13/4 22/11 बहस सुनी लिखित 8/5 23/11 19-6-17 18-7-17	

Scanned by CamScanner

निर्णय न्यायालय श्री मुकेश कुमार कायथवाल, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
24/2016	1.12.2016	21.12.17

नफीस पुत्र बुद्धु खां, मुसलमान निवासी पीलवानदी तह0मलारनाडूंगर —प्रार्थी

बनाम

1. साकिर पुत्र रहमदीन, मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारनाडूंगर
2. जाकिर पुत्र रहमदीन, मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारनाडूंगर
3. अफसाना पत्नि जाकिर, मुसलमान निवासी पीलवानदी तह0 मलारनाडूंगर
4. कलसुम पत्नि साकिर, मुसलमान निवासी पीलवानदी तहसील मलारनाडूंगर
5. तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री रवि प्रकाश अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पीलवानदी में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 394 रकबा 0.76 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी ने दिनांक 13.6.2014 को यह आराजी पूर्व खातेदार प्रभु पुत्र किसना जाति नाथ से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी है जिस पर खरीद दिनांक से प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 5.9.2014 खुल चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का व अन्य किसी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की इस आराजी को येन केन प्रकारेण हडपना चाहते हैं इसके लिए उन्होने एक गिरोह बना रखा है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी को गैरकानूनी रूप से बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। प्रार्थी दिनांक 20.11.2016 को अपनी खातेदारी की इस भूमि पर फसल उन्हालू की पिलाई का कार्य कर रहा था तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 हाथो में लाठी डंडे लेकर आ गए एवं कहने लगे कि वे प्रार्थी को जमीन काश्त नहीं करने देंगे। प्रार्थी के मना करने पर अप्रार्थीगण नाराज हो गए और प्रार्थी के हाथ पैर तोड देने की धमकी दी। प्रार्थी अपनी जान बचाकर वहां से चला आया। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 394 रकबा 0.76 है0 में प्रार्थी के कब्जे

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत एवं मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी नौकर,एजेन्ट से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 5 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने जबाब प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में होना स्वीकार किया है एवं दिनांक 20.11.2016 को किसी प्रकार की घटना नहीं होने की तथ्य अंकित किया है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि ख0नं0 395 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 393 रकबा 0.55 है0 ग्राम पीलवानदी अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण ने ख0नं0 394 पर किसी भी प्रकार कब्जा नहीं किया है। प्रार्थना पत्र झूंठा एवं मनगढन्त है जो खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 117, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस पेश किए हैं।

अप्रार्थीगण की ओर से जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं विवादित भूमि पर मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी से इस भूमि को छीनना चाहते हैं इसके लिए उन्होने दिनांक 20.11.2016 को प्रार्थी को धमकी दी कि वे इस भूमि पर प्रार्थी को काश्त नहीं करने देंगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि विवादित भूमि से अप्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है। दिनांक 20.11.2016 को कोई घटना नहीं हुई बल्कि प्रार्थी ने मनगढन्त तरीके से यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

21.12.17

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । फोटोकोपी नकल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त में प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ग्राम पीलवानदी में स्थित भूमि ख0नं0 394 रकबा 0.76 हैक्टर के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रार्थी को बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.21 16:28:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: